



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक- 38908

दिनांक- 17/12/18

संशोधित विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्तर पर संचालित विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के लिए जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित विभिन्न न्यायालयों एवं अधिकरणों में प्रेक्टिस करने वाले समस्त विधि व्यवसायियों/अधिवक्तागण का चयन "पैनल अधिवक्ता" के रूप में करने हेतु आवेदन पत्र जरिए विज्ञप्ति क्रमांक 34988 दिनांक 03.12.2018 द्वारा दिनांक 15.12.2018 सायं 05.00 बजे तक आमंत्रित किए गए थे। उक्त आवेदन-पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम दिनांक 21.12.2018 तक निर्धारित की जाती है और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति दिनांक 21.12.2018 को सायं 05.00 बजे तक आवेदन-पत्र स्वीकार करेंगे, परन्तु इसके पश्चात् प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई कमी पूर्ति है, तो उसे भी इस अवधि में पूर्ण किया जा सकता है।

आज्ञा से-

(अशोक कुमार जैन)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक 38909-39130

दिनांक 17/12/18

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, समस्त राजस्थान।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
4. रजिस्ट्रार कम सी.पी.सी., राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
5. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त राजस्थान जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
6. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, जिला/तालुका जरिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
7. नोटिस बोर्ड, समस्त जिला एवं सेशन न्यायालय/तालुका।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
9. वेबसाईट, रालसा/जिला न्यायालय।

निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर